शिवपुरी-गुना में सेना बुलाई, 500 लोगों का रेस्क्यू

दतिया की सिंध नदी में आई बाढ़, 11 गांव खाली कराए गए

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 30 जुलाई. ग्वालियर चंबल अंचल के सभी जिलों में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। दो जिलों में तो सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सिंध नदी के उफान पर आने से शिवपुरी के कोलारस में कई गांव पानी से घिर गए हैं।

हालात ये हैं कि लोगों को छतों पर टेंट बनाकर रहना पड़ रहा है। कई गांव पानी-पानी हो गए हैं। सेना के पहुंचने के बाद 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। शिवपुरी में कोलारस, बदरवास और रन्नौद क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात हैं।यहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। दतिया में सिंध नदी में बाढ़ आने के बाद 11 गांव खाली कराए गए हैं। ग्रामीणों के फंसे होने की सूचना मिलते ही सेना ने कोलारस में मौके पर पहुंचकर विभिन्न गांवों से 500 से अधिक लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जिला प्रशासन ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत के बाद सेना को राहत एवं बचाव कार्यों में लगाया है।

30 बच्चे बाढ़ में फंसे

बस में सवार स्कूल से घर लौट रहे शिवपुरी में कोलारस के पचावली गांव में बस में सवार होकर स्कूल से घर लौट रहे 30 बच्चे बाढ़ में फंस गए, जिसके बाद सभी को पचावली सरपंच के घर रुकवाया गया। बच्चे रात तक यहीं हैं और अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। कोलारस के संगेश्वर गांव में लोग छत पर टेंट लगाकर रह रहे हैं।

नावों के जरिए लोगों को सुरक्षित निकाला

मूसलाधार बारिश से कोलारस में हालात अधिक खराब है, जिससे निपटने के लिए सेना के जवान कोलारस पहुंचे हैं। साथ ही ग्वालियर एयरबेस से सेना का एक हेलीकॉप्टर भी कोलारस पहुंचा है। यह हेलीकॉप्टर इलाके की हवाई निगरानी कर रहा है और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को एयरलिफ्ट भी कर रहे है। वहीं, सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एयरबेस से भी सेना का एक हेलीकॉप्टर कोलारस पहुंचा है।

श्योपुर में जयपुर-दिल्ली हाईवे बंद, पुल टूटा

श्योपुर को माधोपुर से जोडने वाले नेशनल हाईवे-552 पर रणथंभोर नेशनल पार्क क्षेत्र में पुल टूट गया जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है। श्योपुर से जयपुर, दिल्ली, टोंक, दोसा की ओर से जाने वाला ट्रैफिक प्रभावित हुआ है।

अस्पताल में पानी भरने के कारण 12 मरीज फंसे

श्योपुर में सीप नदी उफान पर है। यहां मानपुर में सरकारी अस्पताल में पानी भर जाने के कारण 12 मरीज फंस गए। एसडीईआरएफ की टीम ने सभी को निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया।

बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर लाइसेंस होंगे निरस्त

इंदौर आरटीओ ने जारी किया आदेश

इंदौर. शहर में मोटरयान अधिनियम का सख्ती से पालन करवाने के लिए बिना हेलमेट वाहन चलाने पर आरटीओ ने लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए है. साथ हो आरटीओ ने विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी निर्देश दिए है कि वे कार्यालय हेलमेट पहनकर आए.

मोटरयान अधिनियम प्रावधान के अनुसार दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाना अनिवार्य है. दुर्घटना होने पर हेलमेट लगाने से सिर सुरक्षित रहता है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि प्रायः ज्यादातर दो पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट नहीं लगाया जा रहा है. आरटीओ शर्मा ने उक्त विषय में कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की बैठक आहूत कर निर्देश दिए कि कार्यालय का समस्त स्टाफ दो पहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट लगाएं. साथ ही यह भी निर्देश दिए कि कार्यालय में आने वाले समस्त दो पहिया वाहन चालकों से भी हेलमेट लगाने की अपील की जाए. आज जो दो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के परिवहन कार्यालय में अपने कार्य हेतु आए, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया.

पटवारी ने ली 7 हजार रुपए की रिश्वत

लोकायुक्त की टीम ने रंगेहाथों किया गिरफ्तार

उमरिया, 30 जुलाई. भूमि बंटवारे के लिए फांट वा पुल्ली बनाने के बदले ग्यारह हजार रूपये की रिश्वत मांगने वाला एक पटवारी और उसका सहयोगी सात हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है.

गिरफ्तार आरोपितों में भूपेंद्र कुमार सोनी, पटवारी हल्का इंदवार तहसील मानपुर जिला उमरिया और राजकुमार गुप्ता ग्राम अमरपुर तहसील मानपुर जिला उमरिया शामिल है. यह कार्रवाई लोकायुक्त रीवा की टीम ने बुधवार को एक चाय की दुकान पर की है. मिली जानकारी के अनुसार महेंद्र कुमार द्विवेदी पिता स्व. मदन मोहन द्विवेदी निवासी ग्राम पोस्ट चिल्हारी तहसील मानपुर ने अपनी ग्राम बसहा स्थित भूमि के भूमि के बंटवारे के लिए राजस्व विभाग में आवेदन दिया था जिस पर पटवारी ने काम करने से पहले ही रिश्वत की मांग शुरू कर दी थी. महेन्द्र कुमार द्विवेदी ने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त से कर दी और साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दिए. बताया है कि महेंद्र द्विवेदी की शिकायत का सत्यापन करने के बाद लोकायुक्त की टीम ने सात हजार रूपये लेकर उन्हें पटवारी को देने के लिए भेजा. शिव टी स्टॉल संदीप कॉलोनी अमरपुर जिला उमरिया में जब महेंद्र कुमार द्विवेदी पटवारी और उसके सहयोगी को रूपये दे रहे थे उसी दौरान लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा और पटवारी और उसके सहयोगी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. ट्रेप करने वाले दल में अधिकारी प्रवीण सिंह परिहार उप पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक उपेन्द्र दुबे व 12 सदस्यीय टीम शामिल रही.

जिला सहकारी बैंक बैढ़न ने डिफाल्टरों की जारी की सूची

15 सदस्यों पर 4 करोड़ 18 लाख का ऋण बकाया

सिंगरौली 30 जुलाई. जिला सहकारी केन्द्रीय मर्यादित बैंक की शाखा बैढ़न ने15 लोन सदस्यों के डिफाल्टर सूची को सार्वजनिक किया है. जिसमें 4 करोड़ 18 लाख 83 हजार 589 रूपये का ऋण बकाया है. जिन्हें 31 जुलाई तक ऋण जमा करने की नोटिस जारी की गई है.

अगर समय पर ऋण जमा नही हुई तो न्यायालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं सिंगरौली द्वारा मकान एवं भूमि की नीलामी की कार्रवाई की जाएगी. सरकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा बैढ़न ने बैंक से डिफाल्टर हुए 15 कर दाताओं की सूची को सार्वजनिक करते हुए नोटिस जारी किया है. जिसमें भालेन्द्र गर्ग बैढ़न 15 लाख 32,971, संतोष सिंह इटवा 46 लाख 85,854, चेतनावती वर्मा खटखरी 24 लाख 15 हजार 474, सावित्री देवी बैस सिंगरौलिया 25 लाख 90 हजार, गजरूप भुंजवा बैढ़न 26 लाख 21 हजार, रमाकांत शुक्ला पचौर 22 लाख 58 हजार 997, मान सिंह मिट्ठुल 23 लाख 93 हजार 610, धर्मजीत सिंह ढोटी 23 लाख 94,505, सत्तार खान बैढ़न 50 लाख 6153, अंजुलतह सिंह पचखोरा 6 लाख 23,376 आदि पर ऋण बकाया है.

रतलाम में हथियार बेच रहे 2 गिरफ्तार

पंजाब से ला रहा था गुप्ती व तलवारें, जीआरपी पुलिस ने पकड़ा

रतलाम 30 जुलाई. पंजाब के सस्ते हथियार रतलाम में लाकर बेचे जा रहे हैं. जीआरपी पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को पकड़ा हैं. मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

बुधवार की दरमियानी रात पुलिस टीम प्लेटफार्मों व आसपास के क्षेत्रों में गश्त कर रही थी. तभी जीआरपी को सूचना मिली कि प्लेटफार्म 4 के पास प्रीमियम पार्किंग परिसर में एक युवक हथियारों से भरा झोला लेकर खड़ा है. सूचना पर जीआरपी थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी के नेतृत्व में टीम वहां पहुंची तथा मुखबिर द्वारा बताए हुलिए के आधार पर जसप्रीतसिंह (20)पिता अंग्रेजसिंह निवासी ग्राम माड़ी कम्बोक, जिला तरनतारन, थाना खालड़ा (पंजाब) को गिरफ्तार किया. टीम ने उसके झोले की तलाशी ली. तलाशी में 25 खटकेदार चाकू, म्यान सहित 7 धारदार तलवारें, 7 धारदार गुप्ती (काले कवर में पैक), लोहे एवं बीड़ के 6 पंच मिले.

पुलिस ने बताया कि आरोपी जसप्रीत सिंह व बलदेव सिंह को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से रिमांड दिया. पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर जानकारी एकत्रित करेंगी. थाना प्रभारी मोतीराम चौधरी ने जानकारी दी कि आरोपी जसप्रीत ने बताया कि वह अमृतसर से हथियार खरीदकर रतलाम के गुरुद्वारा के पास अस्थायी रूप से जूते-चप्पलों की दुकान लगाने वाले बलदेव सिंह निवासी ग्राम माड़ी कम्बोक (पंजाब) को देने लाया था. इसके बाद बलदेव सिंह

सड़क पर कीचड़, कांवर में मरीज को ले जाना मजबूरी

अनूपपुर के हर्रई से बेलघाट मार्ग दलदल में तब्दील

नवभारत

अनूपपुर, 30 जुलाई. 70 वर्षों की आजादी के बाद भी अनूपपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विकास की सड़क अब भी दलदल में धंसी हुई है.

जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत ग्राम मोहंदी से होकर गुजरने वाला हर्रई से बेलघाट मार्ग हर साल बरसात में कीचड़ में तब्दील हो जाता है, जिससे न वाहन जा पाते हैं और न ही पैदल चल पाना संभव होता है. सबसे चिंताजनक स्थिति तब बनती है जब बीमारों को इलाज के लिए कांवर में उठाकर ले जाना पड़ता है. तीन गांवों की जिंदगी हर साल बरसात में थम जाती है

हर्रई से बेलघाट तक का यह रास्ता रैगड़ियाटोला, खोलटोला और नवाटोला जैसे गांवों को जोड़ता है, जिनकी आबादी 1000 से अधिक है. यहां 105 परिवारों की जिन्दगी बरसात के चार महीनों में घरों में कैद हो जाती है. रास्ते पर गाड़ियों का तो सवाल ही नहीं, लोग बाइकें गांव से 3 किमी दूर छोड़कर कीचड़ में पैदल चलते हैं.

बाजार पहुंचना चुनौती

गांव के बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते, बुजुर्गों और बीमारों की हालत और भी बदतर होती है. ग्रामीण ईश्वर नायक और गया राम सिंह ने बताया कि गांव में एंबुलेंस की सुविधा नहीं है और सड़क की हालत इतनी खराब है कि बीमार व्यक्ति को कंधे पर उठाकर ही स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाना पड़ता है. वहीं पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हर्रई से रैगड़ियाटोला तक की 2.65 किमी सड़क को वर्ष 2024-25 में मंजूरी मिली है. मार्च 2025 में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं. अनुमानित लागत 1.53 लाख तय की गई है, लेकिन काम अब भी शुरू नहीं हुआ है.

प्रधानाध्यापक को थमाया नोटिस

रीवा, 30 जुलाई, मऊगंज कलेक्टर ने शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टटिहरा के प्रधानाध्यापक श्यामसुंदर प्रजापति को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हनुमना द्वारा गत दिनों विद्यालय के निरीक्षण के दौरान प्रधानाध्यापक बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहे. विद्यालय में छात्रों की संख्या न्यून पाई गई. शासकीय कृत्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता के आरोप में कलेक्टर ने प्रधानाध्यापक को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

राजस्व विवाद को लेकर वृद्ध की हत्या

आठ वर्ष से पिड़रिया में चल रहा था जमीन का विवाद

राजस्व व पुलिस की नाकामी, कई संदेही हिरासत में

सिंगरौली 30 जुलाई. सरकार राजस्व महाअभियान की पोल खुल गई है. जहां सिंगरौली के चितरंगी थाना क्षेत्र के पिड़रिया गांव में राजस्व विवाद में एक वृद्ध की हत्या हो गई. दो पक्षों में करीब 8 वर्ष से जमीनी विवाद चल रहा था. कई बार पुलिस व राजस्व से मामले के निराकरण के लिए आवेदन और निवेदन किये गये. लेकिन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नही किया. नतीजा एक वृद्ध की राजस्व विवाद में मौत हो गई. फिलहाल पुलिस कई संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछतांछ कर रही है.

इधर बता दें कि म.प्र. सरकार राजस्व महाअभियान 2.0 की शुरूआत हुई है. इस महाअभियान में पुलिस व राजस्व एक साथ मिलकर विवादित प्रकरणों का निपटारा कर सुलह-समझौता कराने के निर्देश दिये गये थे.

बताया जाता है कि भागीरथी सिंह पिता भेरु सिंह गोड़ का जमीनी विवाद तकरीबन 8 से 10 वर्ष से चल रहा था. कई वर्षो से जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष की रणनीति बन रही थी. समय रहते पुलिस व राजस्व के अधिकारी निपटारा किये होते तो वृद्ध की हत्या न हुई होती. इधर चितरंगी थाना प्रभारी ने बताया कि जमीन विवाद के साथ जादू-टोने का एंगल भी मिला है. संदेहियों को से पूछतांछ की जा रही है. बता दें कि हो सकता है कि कल दिन गुरुवार को पुलिस आरोपियों के गिरफ्तारी का खुलासा भी कर सकती है.

जर्जर भवन के डर से बच्चे नहीं जा रहे स्कूल

यूईजीएस शाला कोलूखेड़ी का भवन जर्जर, बारिश में स्थिति और बिगड़ी

मोहन बड़ोदिया, 30 जुलाई. मोहन बड़ोदिया विकासखंड के यूईजीएस शाला कोलूखेड़ी का विद्यालय भवन जर्जर हो रहा है, जिसमें दो शिक्षकों पर कुल 11 बच्चे अध्ययन करते हैं. ग्रामीण मेहरबान सिंह भिलाला ने बताया कि विद्यालय भवन में पानी टपक रहा है और छत जर्जर हो रही. छत के सरिए दिख रहे हैं. ऐसे में कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसलिए ग्रामीण बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं.

मौके पर छात्रा अनुराधा ने बताया कि वो 4थी कक्षा में है और रोज स्कूल आती हैं, किंतु दो दिन से बारिश के चलते स्कूल में छत से मलबा गिरने के चलते उसके पिताजी स्कूल में नहीं भेज रहे. ताकि हादसा ना हो जाए. विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जितेन्द्र सिंह राजपूत का कहना है कि विभाग के अधिकारियों को विगत दो वर्षों से अवगत करवाते आ रहे हैं. अधिकारियों ने आश्वाशन दिया कि मरम्मत की राशि आ गई है, पर अभी तक खाते में नहीं आई. ग्राउंड जीरो से जब मोहन बड़ोदिया बीआरसी योगेश भावसार से फोन पर बात की गई, तो उनका कहना है कि मुझे जानकारी नहीं है. अपने बताया है, तो विद्यालय को पास के आंगनवाड़ी भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा. लेकिन मौके पर पता चला कि स्कूल से ज्यादा हालत खराब तो आंगनवाड़ी भवन की है.

बिना बीम-कॉलम के भवन

ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन का निर्माण हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है. भवन भी बिना बीम कॉलम का है. ऐसे में भवन लटक कर गिर सकता है. इस पर सवाल ये उठता है कि शिक्षा विभाग के जब विद्यालय भवन ही सुरक्षित नहीं है, तो स्कूल में पालक किस विश्वास पर बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलवाएं. फिलहाल मोहन बड़ोदिया बीआरसी ने कहा है कि अभी अस्थाई रूप से विद्यालय गांव में कहीं किराए का मकान

संकरी पुलिया में ट्रैक्टर फंसा ग्रामीणों ने कूदकर बचाई जान

बुरहानपुर, 30 जुलाई. नेपानगर से मांडवा के बीच एक संकरी पुलिया के पास दो ट्रैक्टर.ट्रॉली नाले में फंस गईं. एक में शव थाए दूसरी में ग्रामीण सवार थे. हालांकि नाले में पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन बहाव और गहराई के कारण दोनों ट्रैक्टर दलदल में धंस गए. ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाते हुए ट्रॉली से कूदकर जान बचाई. बुधवार को इसका वीडियो भी सामने आया है,जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बता दें कि मांडवा निवासी अकलसिंग सोलंकी की मां का निधन हुआ था. उनका अंतिम संस्कार करने के लिए फगन सोलंकी और अकलसिंग सोलंकी दो ट्रैक्टर लेकर निकले थे. एक में शव रखा गया था और दूसरे में ग्रामीणों व अंतिम संस्कार की सामग्री जैसे लकड़ियां आदि थीं. नेपानगर से मांडवा की दूरी मात्र 4.5 किमी है, लेकिन रास्ते में जर्जर पुलिया है. बरसात में वहां पानी भर जाता है, जिससे गाडियां सीधे पानी से होकर निकलती हैं.

मंगलवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ. जैसे ही दोनों ट्रैक्टर उस पुलिया से गुजरने लगे,वे नाले में धंस गए. ग्रामीणों को शव सहित ट्रैक्टर को बाहर निकालने में दो घंटे की मशक्कत करनी पड़ी.

सिरफिरे प्रेमी ने गला दबाकर की थी बुजुर्ग महिला की हत्या

आरोपी ने युवती से बलात्कार भी किया

जबलपुर 30 जुलाई. कोतवाली थाना अंतर्गत खिन्नी मोहल्ला दमोह नाका में एक घर में घुसकर हीराबाई 70 वर्षीय की की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई थी, इस हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है.

एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरा प्रेमी घर में घुसा और पहले तो जबरदस्ती युवती के साथ दुष्कर्म किया. इसी दौरान युवती के पास सो रही नानी की नींद खुल गई थी. इसके बाद वृद्धा की गला घोंटकर आरोपी ने हत्या कर दी थी.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, **फैक्स :** +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	138392914	गृह ऋण	23.07.2025	रु. 2,08,54,405.75/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. मोहित महाजन 2. निधि महाजन

संपत्ति का पता : प्लॉट संख्या 03 पर स्थित मकान का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट (139.40 वर्ग मीटर), टेलीफोन नगर, तहसील और जिला : इंदौर, मध्य प्रदेश-452018 में स्थित, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- प्लॉट संख्या 02, पश्चिम- प्लॉट संख्या 04, उत्तर- बैकलेन और प्लॉट संख्या 12, दक्षिण- रोड.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी /-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक : 31.7.2025
स्थान : इन्दौर

नियुक्ति — चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने सभी को दिलाई शपथ

हाईकोर्ट में दस नवनियुक्त न्यायाधीशों ने संभाला पदभार

जबलपुर, 30 जुलाई. मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को नए न्यायाधीश पुष्पेंद्र यादव, जय कुमार पिल्लई, आनंद सिंह बहरावत, हिमांशु जोशी, अजय कुमार निरंकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश रामकुमार चौबे, राजेश कुमार गुप्ता, आलोक अवस्थी, रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन व भगवती प्रसाद शर्मा ने पदभार संभाल लिया।

इससे पूर्व इन 10 नए न्यायाधीशों को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने कोर्ट रूम क्रमांक-.एक में गरिमामय समारोह के दौरान शपथ ग्रहण कराई। साथ ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने पर मंगलकामना की। सभी नव नियुक्त न्यायाधीशों ने एक स्वर में कहा कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ निभाने वह कृत-संकल्पित हैं। इसके अलावा सभी ने अपने मार्गदर्शकों व स्वजनों सहित अन्य का स्मरण कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का धर्म निभाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह ने नियुक्ति-पत्रों का वाचन किया।

हाईकोर्ट बार ने न्यायाधीशों का किया अभिनंदन

इसके बाद महाधिवक्ता प्रशांत सिंह, एमपी स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राधेलाल गुप्ता, सीनियर एडवोकेट काउंसिल की अध्यक्ष शोभा मेनन, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार अध्यक्ष संजय अग्रवाल, केंद्र शासन के स्थायी अधिवक्ता पीयूष भटनागर व हाईकोर्ट बार इंदौर व ग्वालियर के पदाधिकारियों ने नव नियुक्त न्यायाधीशों का व्यक्तित्व-कृतित्व रेखांकित किया। साथ ही नई जिम्मेदारी निभाने पर अपनी मंगलकामना प्रेषित की। वर्तमान में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं। अभी 34 जज कार्यरत हैं। 10 नए न्यायाधीशों के साथ अब कार्यरत जजों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है, अभी भी जजों के नौ पद रिक्त हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सिल्वर जुबली आदर्श सभागार में सायंकाल सभी नव नियुक्त 10 जजों के साथ न्यायमूर्ति दीपक खोट व विवेक सिंह का अभिनंदन किया गया। इस दौरान हाईकोर्ट बार अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, सचिव परितोष त्रिवेदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जैन, प्रियंक चंसोरिया व स्मिता केहरी उपस्थित थी।